



2026:AHC-LKO:7813-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 199 सन 2026**

गुलाम सरवर

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग
लखनऊ

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	शिवम श्रीवास्तव, आत्मा राम वर्मा, मदन गोपाल त्रिपाठी, राहुल कुमार शुक्ला, शिवानी मस्करा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 1माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी(सी.एम. आवेदन (आई.ए.) संख्या 3/2026 पर आदेश)

1. सुनवाई हुई।
2. यह रिट याचिका वापस लेने का आवेदन है, जो विधिवत शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्हें वर्तमान रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।
4. आवेदन को अनुमति दी जाती है।
5. रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 3, 2026

प्रवीण/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।